REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X

VOLUME - 8 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2019

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पुनर्संगठन से प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न मानवीय संसाधन से सम्बन्धित चुनौतियों का अध्ययन

श्रीमती चंचल लता[1] , डॉ. मुरलीधर मिश्रा[2]
[1] शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान .
[2]एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान .

सारांश

यह अध्ययन माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पुनर्संगठन से प्रबन्धकों के समक्ष मानवीय संसाधनों से सम्बंधित व्युत्पन्न चुनौतियों, प्रबन्धकों द्वारा निकाले गए व्यक्तिगत या संस्थागत समाधानों तथा प्रदत्त सुझावों को जानने के लिए किया गया। इस वर्णनात्मक सर्वेक्षण में अवलोकन, साक्षात्कार तथा मिश्रित प्रश्नावली की सहायता से गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के प्रदत्त एकत्रित किये गये। मात्रात्मक प्रदत्तों का वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग करते विश्लेषण किया गया। निष्कर्षत: पाया गया है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों में निर्धारित संख्या और शैक्षिक योग्यता के अनुसार अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति को लगभग दो तिहाई प्रबन्धकों ने एक चुनौती माना है लेकिन गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति अधिकाँश प्रबंधकों ने लिए चुनौती नहीं है। बहुत कम प्रबन्धकों ने मानवीय संसाधनों सम्बन्धी चुनौतियों चुनौतियों के व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाले हैं, हालांकि प्रबन्धकों ने मानवीय संसाधनों से सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करने के प्रति कतिपय उपयोगी सुझाव दिये हैं।

प्रयुक्त शब्दावली: माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, अध्यापक शिक्षा संस्थान, प्रबन्धक, मानवीय संसाधन, व्युत्पन्न चुनौतियाँ

भारत में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अध्यापक शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु एमएचआरडी द्वारा गठित जस्टिस वर्मा आयोग (2012) द्वारा की गई सभी अनुशंसाओं पर माननीय न्यायालय ने विचार किया और इन्हें स्वीकार करते हुए कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार और एनसीटीई को निर्देशित किया। सरकार के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) में गहन चर्चा के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया और इन अनुशंसाओं को लागू करने के लिए प्रस्तावित कार्य-योजना की भी पुष्टि कर दी। तदनुसार कार्यान्वयन के सम्बन्ध में गठित एन.सी.टी.ई. की बत्रा समिति (2014अ) ने प्रस्तावित किया कि जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अध्यापक शिक्षा का पुनर्गठन पाँच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह कार्य वर्ष 2015-16 से शुरू होकर पांच शैक्षणिक चक्रों में पूरा होगा और इसका समापन वर्ष 2019-20 में होगा। इस समिति ने अध्यापक शिक्षा को

उच्च शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए कार्यान्वयन का खाका तैयार किया; बहु व अंतस्अनुशासनात्मक वातावरण में अध्यापक शिक्षा के कार्यान्वयन का पता लगाया और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि को बढ़ाते हुए विषयवार प्रस्तुत करते हुए नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के अंतर्गत गतिविधि सहित समयसीमा का उल्लेख किया। अंततः दिनांक 28-11-14 को राजपत्र के क्रम सं. 346 एफ. नं. 51-1/2014/एन.सी.टी.ई./एन.एस. पर अधिसूचित एन.सी.टी.ई. (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 के जारी होने पर माध्यमिक स्तरीय अ.शि.का. में पुनर्संगठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी। (एनसीटीई; 2014ब)

माध्यमिक स्तरीय अ.शि.का. में पुनर्संगठन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अध्येताओं की रुचि इस पुनर्संगठन के विविध पक्षों पर हो गयी। इस क्रम में पाटीदार (2015) ने अध्यापक शिक्षा के द्वारा स्वयं व्यक्त करने की शब्दावली में भविष्य में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के सुविचारित प्रयासों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। मिश्र (2015) ने राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिए जारी प्रयासों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को तैयार करने की चुनौतियों का, गुप्ता (2017) ने सहभागिता आधारित अ.शि.का. में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया, अध्यापक-विद्यार्थी संबंध, सहायक गतिविधियों से संबंधित आने वाली चुनौतियों का तथा त्यागी (2018) ने विविध कारकों के संदर्भ में अध्यापक शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों की समस्याओं का, थॉमस एवं तेजवानी (2017) ने प्रशिक्षुता कार्यक्रम के प्रति प्रशिक्षुओं के प्रत्यक्षीकरण को जानने के लिए, राय (2017) ने प्रशिक्षुता कार्यक्रम की पाठ्यचर्या में निहित प्रशिक्षुता कार्यक्रम के पाठ्यक्रम व उनके क्रियान्वयन तथा कार्यक्रम के प्रति कार्यक्रम में शामिल प्रशिक्षुओं के प्रत्यक्षीकरण की समझ के लिए तथा जबकि चव्हाण एवं खांडगले (2017) ने एनसीटीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिस्नातक स्तर (एम.एड. पाठ्यक्रम) में आरम्भ किये गये प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रत्यक्षीकृत की गयी चुनौतियों के संदर्भ में एम.एड. इंटर्नशिप कार्यक्रम के विषय में शिक्षार्थी अध्यापक-शिक्षकों के विचारों का अध्ययन किया।

इस प्रकार अध्यापक शिक्षा की संरचना, प्रक्रियागत नवीनीकरण के प्रयासों, लाये गये सुधारों के प्रभाव, अध्यापक शिक्षा की प्रभावशीलता, अध्यापक शिक्षा पर विभिन्न चरों या कारकों के प्रभाव तथा अध्यापक शिक्षा या और हितधारकों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने के लिए अध्येताओं ने सतत प्रयास किये हैं, लेकिन राजस्थान राज्य में माध्यमिक स्तरीय अ.शि.का. के पुनर्संगठन से प्रबन्धकोंके समक्ष व्युत्पन्न मानवीय संसाधनों से उपलब्धता सम्बंधित चुनौतियों के अध्ययन से जुड़ा कोई अध्ययन प्रमाण शोधकर्ता द्वय को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए शोधकर्ता द्वय ने माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पुनर्संगठन से प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न मानवीय संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों के अध्ययन का निश्चय किया।

अध्ययन उद्देश्य

यह अध्ययन मा.स्त.अ.शि.का. के पुनर्संगठन से प्रबन्धकों के समक्ष व्युत्पन्न मानवीय संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों, इनके द्वारा निकाले गए व्यक्तिगत या संस्थागत समाधानों तथा प्रदत्त सुझावों को जानने के उद्देश्य से किया गया है।

अध्ययन की प्रकृति एवं विधि

मा.स्त.अ.शि.का. के पुनर्संगठन से व्युत्पन्न मानवीय संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों और इनके सम्भाव्य समाधानों का 'यथा-समय स्थान पर जो हैं' के आधार पर अध्ययन करने के लिए 'वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि' का उपयोग किया गया है।

न्यादर्शन एवं न्यादर्श

LBP PUBLICATIONS

राजस्थान राज्य में स्थित बी.एड. और शिक्षाशास्त्री संस्थानों में से प्रस्तुत शोध अध्ययन में यादृच्छिक विधि से 90 बी.एड. और 4 शिक्षाशास्त्री एवं 6 समन्वित (बी.एड. एवं शिक्षाशास्त्री दोनों) संस्थानों का चयन किया गया। चयनित संस्थान की प्रबंध समिति में से एक सदस्य का चयन उपलब्धता के आधार पर सौद्देश्यपूर्ण ढंग से करते हुए अध्ययन के न्यादर्श में कुल 100 प्रबन्धकों का चयन किया गया।

प्रदत्त संकलन हेतु प्रयुक्त प्रविधि

इस अध्ययन में असंरचित अवलोकन प्रपत्र, असंरचित एवं अर्ध संरचित साक्षात्कार प्रपत्र, मिश्रित प्रश्नावली की सहायता से प्रदत्तों का संकलन किया गया है।

प्रदत्तों की प्रकृति

इस अध्ययन में प्रयुक्त प्रविधियों- अवलोकन, असंरचित एवं अर्द्ध संरचित साक्षात्कार तथा मिश्रित प्रकार की प्रश्नावली की सहायता से मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के प्रदत्त एकत्रित किये गये।

प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के लिए विकसित मिश्रित प्रकार की प्रश्नावली में दिए गए पद विशेष पर प्रबंधकों द्वारा प्रदत्त वरीयता की आवृत्तियों की गणना करते हुए प्रतिशत ज्ञात किया गया है। अवलोकन, असंरचित एवं अर्ध संरचित साक्षात्कार द्वारा संकलित तथ्यों का उपयोग मानवीय संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियों और इनके सम्भाव्य समाधानों का अध्ययन करने के लिए हेतु किया गया है।

तालिका-1: मानवीय संसाधनों से सम्बंधित चुनौतियाँ

क्र.सं.	पद	प्रतिक्रिया एवं आवृत्ति (प्रतिशत)		
		हाँ	नहीं	योग
1.	एन.सी.टी.ई. (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 के अनुसार एक इकाई के लिए प्राचार्य सहित 08 अध्यापक शिक्षक अनिवार्य गया है। क्या निर्धारित संख्या में अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति करना शिक्षण संस्थाओं के लिए एक चुनौती बन गई है?	60	40	100
	क्या आपने इस चुनौती का कोई व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाला है?	20 (33.33%)	40 (66.67%)	60 (100%)
2.	क्या एन.सी.टी.ई. (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति करना एक चुनौती बन गई है?	60	40	100
	क्या आपने इस चुनौती का कोई व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाला है?	20 (33.33%)	40 (66.67%)	60 (100%)
3.	क्या एन.सी.टी.ई. (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 द्वारा निर्धारित संख्या में गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करना एक चुनौती बन गई है?	30	70	100
	क्या आपने इस चुनौती का कोई व्यक्तिगत या संस्थागत	10 (33.33%)	20 (66.67%)	30 (100%)

LBP PUBLICATION

	समाधान निकाला है?			
4.	क्या सभी अध्यापक शिक्षकों को शिक्षण का भार देते हुए समयसारणी का निर्माण करना एक चुनौती है?	05	95	100
	क्या आपने इस चुनौती का कोई व्यक्तिगत या संस्थागत समाधान निकाला है?	03 (60%)	02 (40%)	05 (100%)

उपर्युक्त तालिका 1.1 में दिए गए प्रदत्तों तथा साक्षात्कार, अवलोकन एवं मिश्रित प्रश्नावली से प्राप्त गुणात्मक प्रदत्तों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि मानवीय संसाधन संसाधनों की उपलब्धता संबंधी चुनौतियों में से एन.सी.टी.ई. अधिनियम (2014) के अनुसार एक इकाई के लिए निर्धारित संख्या (प्राचार्य सहित 08 अध्यापक शिक्षक) में अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा संस्थानों के आधे से कुछ अधिक प्रबन्धकों के समक्ष एक चुनौती है, जबकि आधे से कुछ कम प्रबन्धक इसे एक चुनौती नहीं मानते हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों ने संस्थागत आधार पर समाधान निकालते हुए अपने शिक्षण संस्थान में एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार अध्यापक शिक्षकों की संख्या पूर्ण की है। इस चुनौती की प्रकृति के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रबन्धकों ने यह बताया है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की उपलब्धता का अभाव है। संगीत, कला, गणित, कॉमर्स, विज्ञान विषय के लिए अध्यापक शिक्षकों की कमी है तथा विषयवार शिक्षकों की पूर्ति करना मुश्किल है।

प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती के सम्भाव्य समाधान- अध्यापक शिक्षकों की निर्धारित संख्या में कमी लाना या अध्यापक शिक्षकों की संख्या पुराने नियमों से करना, अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षार्थियों की संख्या अनुसार करना तथा एन.सी.टी.ई. के अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नियमों को थोड़ा लचीला बनाया जाना हो सकते हैं।

उपर्युक्त तालिका 1.2 में दिए गए प्रदत्तों तथा साक्षात्कार, अवलोकन एवं मिश्रित प्रश्नावली से प्राप्त गुणात्मक प्रदत्तों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि एन.सी.टी.ई. अधिनियम 2014 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति करना न्यादर्श में चयनित शिक्षा संस्थाओं के आधे प्रबन्धकों के समक्ष एक चुनौती है। इस चुनौती के सबंध में अधिकांश प्रबन्धकों ने यह बताया कि निर्धारित नेट व पीएचडी. योग्यता वाले योग्य अध्यापक शिक्षकों का अभाव है। कतिपय प्रबन्धकों के अनुसार नेट व पीएच.डी. योग्यता वाले अध्यापक शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद उनके वेतनमान की मांग को मान पाना एक चुनौती है। जबकि लगभग आधे प्रबन्धक एन.सी.टी.ई. अधिनियम 2014 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति करने को चुनौती नहीं मानते हैं। इनमें से कतिपय प्रबन्धकों द्वारा अपने अध्यापक शिक्षा संस्थान में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार योग्य अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है।

प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती के सम्भाव्य समाधान- अध्यापक शिक्षकों न्यूनतम योग्यता एम.एड. ही होनी चाहिए अर्थात् अध्यापक शिक्षकों की योग्यता पुराने नियमों के अनुसार ही रहे, अधिक प्रभावी योजनाएँ बनाकर अध्यापक शिक्षकों को अपनी योग्यता पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, योग्य अध्यापक शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ायी जानी चाहिए।

उपर्युक्त तालिका 1.3 में दिए गए प्रदत्तों तथा साक्षात्कार, अवलोकन एवं मिश्रित प्रश्नावली से प्राप्त गुणात्मक प्रदत्तों का विश्लेषण करने पर विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि एन.सी.टी.ई. (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 द्वारा निर्धारित संख्या में गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करना लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों के समक्ष एक चुनौती है। जबकि लगभग तीन चौथाई प्रबन्धक एन.सी.टी.ई. अधिनियम (2014) द्वारा निर्धारित संख्या में गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करने को एक चुनौती नहीं मानते हैं। इनमें से एक तिहाई प्रबन्धकों के अनुसार उन्होंने एन.सी.टी.ई. अधिनियम (2014) के अनुसार अपने संस्थान में गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति कर दी है।

गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करने को एक चुनौती मानने वालों में से लगभग आधे प्रबन्धकों ने यह बताया है कि अतिरिक्त गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति से संचालकों पर आर्थिक भार बढ़ा है। सीटें पूरी नहीं भरने की स्थिति में तो गैर शैक्षणिक स्टॉफ पर कोई कार्यभार नहीं रहता है। लेकिन केवल विनियम की पूर्ति के लिए गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करनी पड़ रही है। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती का सम्भाव्य समाधान विद्यार्थियों की संख्यानुसार स्टॉफ की नियुक्ति करना तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति शिक्षण संस्थान के आवश्यकतानुसार करना हो सकता है।

उपर्युक्त तालिका 1.4 में दिए गए प्रदत्तों तथा साक्षात्कार, अवलोकन एवं मिश्रित प्रश्नावली से प्राप्त गुणात्मक प्रदत्तों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि अध्यापक शिक्षकों को शिक्षण का भार देते हुए समयसारणी का निर्माण करना केवल कतिपय प्रबन्धकों के समक्ष एक चुनौती है। इस चुनौती के संबंध में इन प्रबन्धकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक शिक्षकों को समय-सारणी में समायोजित करना व कार्यभार वितरण एक चुनौती है। जबकि अधिकांश प्रबन्धक अपने शिक्षण संस्थान में समय-सारणी के निर्माण करने को एक चुनौती नहीं मानते हैं। इनमें से लगभग आधे प्रबन्धकों ने अपनी संस्था में अध्यापक शिक्षकों की उपलब्धता के हिसाब से समय सारणी बनाने का निर्णय लिया है। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती का सम्भाव्य समाधान विद्यार्थियों की संख्यानुसार अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति करना हो सकता है।

शोध निष्कर्ष एवं शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के अग्रांकित निहितार्थ हो सकते हैं-

1. प्रस्तुत अध्ययन में निष्कर्षत: यह पाया गया है कि मानवीय संसाधन संसाधनों की उपलब्धता संबंधी चुनौतियों में से एन.सी.टी.ई. अधिनियम (2014) के अनुसार एक इकाई के लिए निर्धारित संख्या (प्राचार्य सहित 08 अध्यापक शिक्षक) में अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा संस्थानों के आधे से कुछ अधिक प्रबन्धकों के समक्ष एक चुनौती है। जबकि आधे से कुछ कम प्रबन्धक इसे एक चुनौती नहीं मानते हैं। इनमें से लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों ने संस्थागत आधार पर समाधान निकालते हुए अपने शिक्षण संस्थान में एन.सी.टी.ई. के नियमानुसार अध्यापक शिक्षकों की संख्या पूर्ण की है। इस चुनौती की प्रकृति के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रबन्धकों ने यह बताया है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की उपलब्धता का अभाव है। संगीत, कला, गणित, कॉमर्स, विज्ञान विषय के लिए अध्यापक शिक्षकों की कमी है तथा विषयवार शिक्षकों की पूर्ति करना मुश्किल है। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती के सम्भाव्य समाधान- अध्यापक शिक्षकों की निर्धारित संख्या में कमी लाना या अध्यापक शिक्षकों की संख्या पुराने नियमों से करना, अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षार्थियों की संख्या अनुसार करना तथा एन.सी.टी.ई. के अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नियमों को थोड़ा लचीला बनाया जाना हो सकते हैं।

क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में योग्य अध्यापक-शिक्षकों की उपलब्धता का अभाव भी है। इस निष्कर्ष को ध्यान में रख कर अधिस्नातक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि के लिए एनसीटीई केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर योजना बना सकते हैं। योग्यता के सापेक्ष अध्यापक-शिक्षकों को उचित वेतनमान नहीं मिलने के कारण प्रतिभाओं का आकर्षण इस क्षेत्र की ओर कम न हो; इस हेतु एनसीटीई, केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही प्रबन्धकों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा तय अनुसार अध्यापक-शिक्षकों को वेतनमान मिले; यह सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है। शिक्षार्थी-अध्यापकों के कम प्रवेश और अन्य राज्यों की तुलना में अत्यल्प वार्षिक शुल्क से उपज रहे आर्थिक दबाव के चलते भी पर्याप्त संख्या में अध्यापक-शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हुआ है। इस सम्बन्ध में एनसीटीई के प्रयास के केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर एक कोष बना सकते हैं जिससे शिक्षार्थी-अध्यापकों के कम प्रवेश की स्थिति में क्षति-पूर्ति की जा सके। राज्य सरकार प्रतिवर्ष वास्तविक व्यय भार के अनुसार वार्षिक शुल्क का निर्धारण करे यह भी आवश्यक है।

2. इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि एनसी.टी.ई. अधिनियम 2014 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति करना शिक्षा संस्थाओं के आधे प्रबन्धकों के समक्ष एक चुनौती है। इस चुनौती के सबंध में अधिकांश प्रबन्धकों ने यह बताया कि निर्धारित नेट व पीएच.डी. योग्यता वाले योग्य अध्यापक शिक्षकों का अभाव है। कतिपय प्रबन्धकों के अनुसार नेट व पीएच.डी. योग्यता वाले अध्यापक शिक्षकों की उपलब्धता के बावजूद उनके वेतनमान की मांग को मान पाना एक चुनौती है। जबकि लगभग आधे प्रबन्धक एनसी.टी.ई. अधिनियम 2014 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति करने को चुनौती नहीं मानते हैं। इनमें से कतिपय प्रबन्धकों द्वारा अपने अध्यापक शिक्षा संस्थान में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार योग्य अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती के सम्भाव्य समाधान- अध्यापक शिक्षकों न्यूनतम योग्यता एम.एड. ही होनी चाहिए अर्थात् अध्यापक शिक्षकों की योग्यता पुराने नियमों के अनुसार ही रहेअधिक प्रभावी योजनाएँ बनाकर अध्यापक शिक्षकों को अपनी योग्यता पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, योग्य अध्यापक शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ायी जानी चाहिए।

इस निष्कर्ष को ध्यान में रख कर अधिस्नातक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि के लिए एनसीटीई केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर योजना बना सकते हैं। योग्यता के सापेक्ष अध्यापक-शिक्षकों को उचित वेतनमान नहीं मिलने के कारण प्रतिभाओं का आकर्षण इस क्षेत्र की ओर कम न हो, इस हेतु एनसीटीई, केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही प्रबन्धकों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा तय अनुसार अध्यापक-शिक्षकों को वेतनमान मिले; यह सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है।

3. इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि एनसी.टी.ई. (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 द्वारा निर्धारित संख्या में गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करना लगभग एक तिहाई प्रबन्धकों के समक्ष एक चुनौती है। जबकि लगभग तीन चौथाई प्रबन्धक एन.सी.टी.ई. अधिनियम (2014) द्वारा निर्धारित संख्या में गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करने को एक चुनौती नहीं मानते हैं। इनमें से एक तिहाई प्रबन्धकों के अनुसार उन्होंने एनसी.टी.ई. अधिनियम (2014) के अनुसार अपने संस्थान में गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति कर दी है। गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करने को एक चुनौती मानने वालों में से लगभग आधे प्रबन्धकों ने यह बताया है कि अतिरिक्त गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति से संचालकों पर आर्थिक भार बढ़ा है। सीटें पूरी नहीं भरने की स्थिति में तो गैर शैक्षणिक स्टॉफ पर कोई कार्यभार नहीं रहता है। लेकिन केवल विनियम की पूर्ति के लिए गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति करनी पड़ रही है। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती का सम्भाव्य समाधान विद्यार्थियों की संख्यानुसार स्टॉफ की नियुक्ति करना तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति शिक्षण संस्थान की आवश्यकतानुसार करना हो सकता है।

शिक्षार्थी-अध्यापकों के कम प्रवेश और अन्य राज्यों की तुलना में अत्यल्प वार्षिक शुल्क से उपज रहे आर्थिक दबाव के चलते भी पर्याप्त संख्या में गैर शैक्षणिक स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हुआ है इस सम्बन्ध में एनसीटीई के प्रयास के केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर एक कोष बना सकते हैं जिससे शिक्षार्थी-अध्यापकों के कम प्रवेश की स्थिति में क्षति-पूर्ति की जा सके। राज्य सरकार प्रतिवर्ष वास्तविक व्यय भार के अनुसार वार्षिक शुल्क का निर्धारण करे यह भी आवश्यक है। केंद्र एवं राज्य सरकार इस हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थानों को उदार अनुदान सहायता भी दे सकते हैं।

4. अध्यापक शिक्षकों को शिक्षण का भार देते हुए समयसारणी का निर्माण करना केवल कतिपय प्रबन्धकों के समक्ष एक चुनौती है। इस चुनौती के संबंध में इन प्रबन्धकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक शिक्षकों को समय-सारणी में समायोजित करना व कार्यभार वितरण एक चुनौती है। जबकि अधिकांश प्रबन्धक अपने शिक्षण संस्थान में समय-सारणी के निर्माण करने को एक चुनौती नहीं मानते हैं। इनमें से लगभग आधे प्रबन्धकों ने अपनी संस्था में अध्यापक शिक्षकों की उपलब्धता के हिसाब से समय सारणी बनाने का निर्णय लिया है। प्रबन्धकों के अनुसार इस चुनौती का सम्भाव्य समाधान विद्यार्थियों की संख्यानुसार अध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति करना हो सकता है।

जब भी कोई नया विनियम सामने आता है, तब उसके कार्यान्वयन में चुनौती का आना स्वाभाविक है। प्रतिवर्ष कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के सापेक्ष निर्धारित अध्यापक-शिक्षकों की उपलब्धता का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। यह पुनर्निर्धारण केवल दो सत्रों के आधार पर करना जल्दबाजी हो सकती है। एनसीटीई ने जिस कार्यभार के आधार पर एक इकाई के लिए अध्यापक-शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यक संख्या तय की है, उसकी अनुरूपता को दर्शाने वाली लगभग तीन-चार आदर्श समय-सारणियाँ अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए जारी करनी चाहिए, ताकि प्रबंधकों की कथित मान्यता को शोधित किया जा सके। इस कदम से अध्यापक शिक्षा संस्थानों को एनसीटीई की भावनानुसार मानवीय संसाधनों का उपयोग करने से सम्बंधित आधार भी प्राप्त हो सकता है।

सन्दर्भ-सूची

चव्हाण, आर. एण्ड खांडगले, वी.एस. (2017). **अ स्टडी ऑफ़ एम.एड. इंटर्नशिप प्रोग्राम पर्सिव्ड बाई स्टूडेंट टीचर-एजुकेटर्स. कांफ्रेंस पेपर चैलेंजेज इन टीचर एजुकेशन एण्ड क्वालिटी डेवलपमेंट. महारानी तारा बाई कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, मार्च, अंक** 1. retrieved from https://www.researchgate.net/publication/315459476_A_Study_of_the_MEd_Internship_Programme_Perceived_by_Student_Teacher-Educators

बत्रा, पूनम. (2014). **प्रोब्लेमेटाइजिंग टीचर एजुकेशन प्रैक्टिस इन इंडियाः डेवलपिंग अ रिसर्च एजेंडा एजुकेशन अस चेंज.** 18(1); 55-58.

गुप्ता, पी. (2008). **सहभागितापूर्ण अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र तथा स्वविकास में प्रासंगिकता. अप्रकाशित शोध प्रबन्ध. शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान.**

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (2012). **केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड : 60वीं बैठक का विवरण. नवंबर** 09. retrieved from http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=18673

एमएचआरडी (2012). **विज़न ऑफ़ टीचर एजुकेशन इन इंडियाः क्वाएलिटी एण्ड रेगुलेटरिंग पर्सपेक्टिव -रिपोर्ट ऑफ़ हाई पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कॉनसीट्यटेड बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया (वॉल्यूकमः प). डिपार्टमेन्ट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एण्ड लिटरेसी एण्ड नेशनल कॉउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, न्यू दिल्ली.**

मिश्र, आर.के. (2015). **शिक्षकों को तैयार करने की चुनौतियाँ. भारतीय आधुनिक शिक्षा.** 35(3), **जनुअरी.** 1-9.

पाटीदार, जे.के. (2015). **मैं हूँ शिक्षक शिक्षा भारतीय आधुनिक शिक्षा.** 35(3), **जनुअरी.** 10-17.

एनसीटीई (2014अ). रिपोर्ट ऑफ़ दा एनसीटीई सब-कमिटी ऑन रिवाइज्ड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर सेलेक्ट टीचर एजुकेशन प्रोग्रम्मेस. (**चेयरपर्सन प्रोफेसर पूनम बत्रा**), **एनसीटीई.**

नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (2014**ब**). **नेशनल कौंसिल फॉर टीचर एजुकेशन** [**रिकग्निशन नोर्म्स एंड प्रोसीजर**] **रेगुलेशंस,** 2014. Retrieved from www.dcdc.puchd.ac.in/downloads/Regulation-2014.pdf

राय, डी. (2017). **द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षुता** (internship) **कार्यक्रम : एक अध्ययन. अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ.**

थॉमस, एस. जे. एण्ड तेजवानी, एस. (2017). **परसेप्शन ऑफ स्टुडेन्ट टीचर्स रिगार्डिंग इण्टर्नशिप प्रोग्राम. एजुट्रैक्स,** 17(3). 36-38**.**

त्यागी, ए. (2018). **विविध कारकों के सन्दर्भ में अध्यापक शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों की समस्याओं का अध्ययन. अप्रकाशित शोध प्रबन्ध. शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान.**

श्रीमती चंचल लता

शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान .